राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 863/2012/बारां
अपील संख्या – 864/2012/बारां

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
बारां ....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स प्रशांत ट्रेडर्स,
बारां .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरना,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री एम.एल. पाटोदी, अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 06/04/2018

निर्णय

1. ये अपीलें अपीलार्थी राजस्व (जिसे आगे **"अपीलार्थी"** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय प्राधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 05 एवं 06/सी.एस.टी./ 2010–11/बारां में पारित आदेश दिनांक 13.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बारां (जिसे आगे **"सक्षम अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **"सीएसटी एक्ट"** कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"आरवैट एक्ट"** कहा जायेगा) की धारा 24(6) के अन्तर्गत वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 के लिये पारित आदेश में आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपण को अपास्त करते हुए अपील स्वीकार की है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

अपील संख्या	अवधि वर्ष 2006–07	क. नि. आदेश दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति	कुल विवादित राशि
863/2012	2000–01	26.08.2010	13,22,400	19,60,558	26,44,800	59,27,758
864/2010	2001–02	26.08.2010	34,42,800	42,68,883	68,85,600	1,45,97,283

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्ष 2000–01 तथा 2001–02 हेतु प्रत्यर्थी फर्म का कर निर्धारण सीएसटी एक्ट की धारा 9 सपठित आरवैट एक्ट की धारा 30, 58 एवं 65 के अन्तर्गत दिनांक 15.09.2004 को सम्पूरित करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति की मांग क्रमशः रूपये 49,98,020/– तथा रूपये 1,21,76,76/– सृजित की गई थी। उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा

निरन्तर........2

अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील किये जाने पर अपीलीय आदेश दिनांक 27.05.2005 द्वारा विवादित मांग को अपास्त करते हुए प्रकरण को निर्देशानुसार समुचित जांच पश्चात् निर्णीत करने हेतु प्रतिप्रेषित किया।

3. उक्त अपीलीय आदेश की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः आदेश दिनांक 03.12.2007 को पारित करते हुए मांग राशि सृजित की गई। उक्त कर निर्धारण आदेशों से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष पुनः अपील की गई जिसका निस्तारण 13.08.2008 को करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा यह पाये जाने पर कि पूर्ववर्ती अपीलीय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवश्यक जांच सम्पूरित नहीं की गई थी, लिहाजा विवादित मांग अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः सक्षम अधिकारी को आवश्यक जांच पश्चात् निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

4. अपीलीय आदेश दिनांक 13.08.2008 की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.08.2010 को पारित करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गई जो कि उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के नीचे दी गई टेबल में वर्णित है। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा पुनः अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 13.10.2011 को निर्णीत करते हुए सृजित मांग राशियों को इस आधार पर अपास्त कर दिया कि पूर्व में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई तथा कि दो बार प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करने के उपरान्त भी कोई प्रगति नहीं हुई अतः इसके अभाव में अपीलान्ट द्वारा उक्त माल का उच्चन्ती विक्रय करना मानते हुए जो कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित करते हुए जो मांग सृजित की गई है वह न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है।

5. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने मैसर्स *Container Corporation of India Ltd. (जिसे 'Concor' भी कहा जायेगा)*, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा मैसर्स गुजरात अम्बूजा एक्सपोर्ट्स लि. को वर्ष 2000–01 के दौरान सोयाबीन कीमतन् रूपये 3,30,60,000 / – तथा वर्ष 2001–02 के दौरान रूपये 8,60,70,000 / – का अन्तर्राज्यीय विक्रय किया गया परन्तु जिसे लेखा पुस्तकों में नहीं दर्शाकर करवंचना की गई है, अतः जो कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गई है वह पूर्णतः विधिसम्मत है जिसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गई है।

6. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश में यथा निर्देशानुसार न तो विस्तृत जांच की गई तथा न ही उपलब्ध साक्ष्यों का कोई क्रॉस एक्ज़ामिनेशन ही करवाया गया,

निरन्तर........3

अतः जांच निर्देशानुसार सम्पूरित नहीं की गई है तथा प्रत्यर्थी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में विभाग असफल रहा है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेशों में सृजित मांग को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है तथा अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य हैं। उन्होंने राजस्व की अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि प्रकरण दो बार रिमाण्ड किये जाने के उपरान्त भी सक्षम अधिकारी द्वारा तथ्यों की समग्र परिप्रेक्ष्य में जांच नहीं की गई तथा mechanically ही पुनः आदेश पारित कर मांग सृजित कर दी गई है।

8. इस सम्बन्ध में अपीलीय आदेश दिनांक 27.05.2005 में दिये गये निर्देशों को पुनरूल्लिखित करना आवश्यक है, जो कि निम्नानुसार है:–

> *"अतः करनिर्धारण अधिकारी को निम्नांकित बिन्दुओं पर जांच करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है :–*
>
> *1. बारां रेल्वे स्टेशन जहां से प्रशान्त ट्रेडर्स द्वारा गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट लि. खोडियार अहमदाबाद के नाम माल बुक किया गया है वहां के बुकिंग स्टाफ से इस तथ्य की जांच करें कि यह माल उनके यहां बुक करने कौन व्यक्ति अथवा व्यापारी आया था तथा उसका भाड़ा किसने चुकाया था। एवं आर.आर. बुक से आर.आर. की फोटो कॉपियां प्राप्त की जाये। इन आर.आर. की कॉपियों की नकल अपीलान्ट को दी जानी चाहिए थी और यदि अपीलान्ट रेल्वे बुकिंग ऑफिस बारा एवं माल बुक करने वाले व्यक्ति से क्रोस एग्जामिन करना चाहे तो उसे क्रोस एग्जामिन करने का अवसर दिया जाये ताकि माल बुक करने वाले वास्तविक व्यक्ति का पता लगाया जा सके।*
>
> *2. भारतीय कंटेनर निगम अहमदाबाद जिसने उक्त माल कोटा से खोडियार भिजवाने की सूचना भिजवाई है उससे इस तथ्य की जानकारी प्राप्त की जाये कि यह माल खोडियार स्टेशन से किस व्यक्ति व व्यापारी द्वारा छुडवाया गया है तथा उन व्यक्तियों एवं व्यापारियों के बयान लिये जाकर इस तथ्य की जानकारी की जानी चाहिए थी कि उन्हें उक्त आर. आर. द्वारा माल बारां से किस व्यक्ति अथवा व्यापारी ने भिजवाया है। इसका भुगतान उन्होंने किस व्यक्ति को किस माध्यम से किया है। अपीलान्ट को थर्ड पार्टी एवीडेन्स से क्रोस एग्जामिन करने का पूर्ण अवसर दिया जाये और इस जांच में यदि यह साबित हो जाता कि यह माल प्रशान्त ट्रेडर्स बारां द्वारा भिजवाया गया है और भुगतान भी इसी को किया गया है तो ही अपीलान्ट पर उचन्ति विक्रय का आरोप सिद्ध किया जा सकता है।*
>
> *फलतः दायर दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर विवादित कर निर्धारण आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि 04.11.2000 से 18.11.2000 की अवधि में 3480 मेट्रिक टन सोयाबीन 33060000/– एवं 08.11.2001*

निरन्तर........4

से 13.12.2001 की अवधि में 9060 मेट्रिक टन सोयाबीन 86070000/– की अपीलान्ट द्वारा उचिन्त विक्रय करना मानते हुए अति. कर धारा 65 की शास्ति एवं ब्याज आरोपित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे एवं उक्त विवेचनानुसार दोनों बिन्दुओं पर जांच की जाकर दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह साबित किया जावे कि वास्तव में यह माल मैसर्स प्रशान्त ट्रेडर्स बारां द्वारा गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट लि. गुजरात को विक्रय किया गया है और इस माल का भुगतान भी इसी व्यापारी द्वारा प्राप्त किया गया है। इस जांच में अपीलान्ट को थर्ड पार्टी एवीडेन्स से क्रोस एग्जामिन करने का अवसर भी दिया जावे इसके पश्चात्ही अपीलान्ट पर नियमानुसार कर शास्ति एवं ब्याज आरोपित करने की कार्यवाही की जावे।"

9. उक्त अपीलीय आदेश की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण दिनांक 03.12.2007 को पारित करते हुए विवादित टर्नओवर पर पुनः कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा पुनः अपीलें प्रस्तुत की गई जो अपीलीय आदेश दिनांक 13.08.2008 द्वारा निर्णीत की गई। अपीलीय अधिकारी ने यह पाया कि प्रकरण में अपीलीय आदेश की पालना में समुचित जांच नहीं की गई थी, जिससे कि अपीलार्थी फर्म की लिप्तता प्रमाणित हो सके, लिहाजा मांग राशियां अपास्त करते हुए प्रकरण विस्तृत जांच हेतु एवं थर्ड पार्टी एवीडेन्स के प्रतिपरीक्षण हेतु पुनः सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त अपीलीय आदेश के सम्बन्धित अंश निम्नानुसार पुनरूल्लिखित हैः–

"पत्रावली पर उपलब्ध इन तथ्यों एवं कर निर्धारण आदेश का अवलोकन किया गया। पत्रावली में अपीलान्ट को प्रतिप्रेषित वाद निपटाने हेतु अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। न ही अहमदाबाद से प्राप्त आर.आर. की प्रतियां उपलब्ध करवाई गई। न ही अपीलान्ट को क्रोस एक्जामिन करने का मौका दिया गया। उपायुक्त (अपील्स) द्वारा जारी प्रतिप्रेषित आदेशों के बिन्दु सं. 2 की अनुपालना नहीं की गई।

अपीलान्ट के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपने तर्कों के साथ विविध न्यायिक निर्णयों सारांश यही है कि अपीलान्ट को उसके ऊपर किसी कर दायित्व को थोपने के पूर्व सुनवाई हेतु अवसर दिया जाना चाहिए। यह भी उचित है कि अपीलान्ट द्वारा मैसर्स गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट लि. को बिक्री के लेन देन प्रमाणित करने का दायित्व भी विभाग का है। इसके अलावा अपीलान्ट के विरूद्ध उपलब्ध किसी दस्तावेजों के जारीकर्ताओं से प्रतिपरीक्षण का अपीलान्ट को अधिकार है जिसक बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार कोई भी करारोपण विधि सम्मत नहीं होगा।

अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश 03.12.2007 को अपास्त किया जाता है। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड यथा आर. आर., उन्हें जारीकर्ता भारतीय कन्टेनर निगम लि., अहमदाबाद से अपीलान्ट को प्रतिपरीक्षण करवाये बिना अपीलान्ट एवं मैसर्स गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट्स लि. के बीच बिक्री के लेन–देन प्रमाणित नहीं हो

निरन्तर........5

सकते। आर.आर. में वर्णित मैसर्स शिव केरियर्स से जांच किया जाना भी आवश्यक है कि माल उसने किस व्यापारी से खरीदा तथा मैसर्स गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट लि. से माल के पेटे प्राप्त भुगतान किसको किया गया। अपीलान्ट तो मैसर्स शिव केरियर्स से प्रतिपरीक्षण भी कराया जावे।

फलतः दायर दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर विवादित कर रू. 1322400/–, रू. 13468800/–, शास्ति रू. 2644800/–, रू. 6885600/– तथा ब्याज रू. 1527101/–, रू. 3140400/– को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि दिनांक 04.11.2000 से 18.11.2000 की अवधि में 3480 मेट्रिक टन सोयाबीन 33060000/– एवं 08.11.2001 से 13.12.2001 की अवधि में 9060 मेट्रिक टन सोयाबीन 86070000/– की अपीलान्ट द्वारा उच्चंति बिक्री करना मानते हुए अति. कर धारा 65 की शास्ति एवं ब्याज आरोपित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे कि वास्तव में यह माल अपीलान्ट द्वारा मैसर्स गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट लि. को विक्रय किया गया है। इस जांच में अपीलान्ट को थर्ड पार्टी एवीडेन्स से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर भी दिया जावे। उसके पश्चात् ही उच्चन्ति बिक्री प्रमाणित होने पर अपीलान्ट पर कर, शास्ति एवं ब्याज का आरोपण की कार्यवाही की जावे।"

10. उक्त अपीलीय आदेश की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.08.2010 को पारित किये गये जिनमें यह अभिलिखित किया गया है कि:–

"प्रतिप्रेषित प्रकरण वर्ष 2000–2001 का निष्पादन ***Container Corporation of India Ltd.*** *अहमदाबाद के पत्र क्रमांक* ***nwr/dom/st-kota/0404*** *दिनांक 15.04.2004 के आधार पर किया जाता है। इस पत्र में* ***Concor*** *ने प्रकट किया है कि मै. प्रशान्त ट्रेडर्स बारां ने मै. गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्टस लिमिटेड गुजरात को वर्ष 2000–2001 में रू. 3,30,60,000/– का सोयाबीन भेजा है। मै. प्रशान्त ट्रेडर्स बारां ने मै. गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्टस लिमिटेड गुजरात जारी सम्मन की अनुपालना में पेश लिखित जवाब में सोयाबीन भेजने से इन्कार किया है। लिखित जवाब को पत्रावली पर रखा गया।*

Container Corporation of India Ltd. *भारत सरकार का उपक्रम है। इसने वर्ष 2000–2001 में बारां से खोडियार मै. प्रशान्त ट्रेडर्स बारां द्वारा मै. गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्टसे लिमिटेड गुजरात को 3480 मीट्रिक् टन सोयाबीन कीमतन रू. 3,30,60000/– का अपने पत्र क्रमांक 0404 दिनांक 15.04.2004 द्वारा भेजा जाना प्रकट किया है।*

Concor *भारत सरकार का उपक्रम होने के कारण इसके पत्र को कर निर्धारण का आधार माना जाता है। व्यवहारी को जारी सम्मन के साथ* ***Concor*** *द्वारा भेजे हुए पत्र को फोटो प्रतियाँ भेजी गई। व्यवहारी ने अपने लिखित जवाब में मै. गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्टस लिमिटेड गुजरात को सोयाबीन भेजने से इन्कार किया है।*

निरन्तर........6

व्यवहारी द्वारा पेश जवाब को अस्वीकार किया जाता है। Concor *के पत्र के आधार पर वर्ष 2000–2001 का कर निर्धारण निम्न प्रकार पारित किया जाता है:–*

मै. प्रशान्त ट्रेडर्स बारां ने वर्ष 2000–2001 में सोयाबीन 3480 मीट्रिक टन कीमतन रू. 3,30,60000/– राज्य के बाहर मै. गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्टस लिमिटेड गुजरात को विक्रय किया है। इस समस्त विक्रय को मै. प्रशान्त ट्रेडर्स बारां ने अपने नियमित लेखा–पुस्तकों में नहीं दर्शाया है।"

इसी प्रकार वर्ष 2001–2002 का कर निर्धारण भी दिनांक 26.08.2010 को ही सम्पूरित किया गया है जिसमें वर्ष 2000–2001 हेतु सम्पूरित आदेश की भांति ही कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है।

11. उक्त कर निर्धारण आदेशों दिनांक 26.08.2010 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.10.2011 द्वारा दोनों अपीलें स्वीकार करते हुए विवादित मांग को अपास्त किया गया है। इस आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह तल्ख टिप्पणी की गई है कि प्रकरण दो बार प्रतिप्रेषित किये जाने के उपरान्त भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिवत जांच नहीं की गई जिसके अभाव में कर, ब्याज एवं शास्ति न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। इस अपीलीय आदेश के सन्दर्भित अंश निम्नानुसार हैं:–

"इस अपील आदेश के संदर्भ में करनिर्धारण अधिकारी ने विवादित करनिर्धारण आदेश दिनांक 26.08.2010 पारित किये हैं लेकिन अपील आदेश में दिये गये निर्देशों की कोई पालना नहीं की और केवल भारतीय कन्टेनर निगत (sic निगम) लि. अहमदाबाद द्वारा लिखे गये पत्र दिनांक 15.04.2004 को आधार मानते हुए पुनः कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की है।

अपील कार्यालय द्वारा दो बार स्पष्ट निर्देश देते हुए प्रकरण करनिर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये हैं लेकिन करनिर्धारण अधिकारी ने भारतीय कन्टेनर निगम लि. से अपीलान्ट को क्रोस एग्जामिन नहीं करवाया गया है और नाही कोई ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित किये गये हैं जिनसे अपीलान्ट द्वारा उक्त माल विक्रय करना प्रमाणित होता हो।"

"प्रकरण जिन दस्तावेजों पर आधारित है वे न केवल थर्ड पार्टी के हैं, बल्कि स्वयं पार्टी ने भी इन दस्तावेजों को प्रमाणित नहीं किया है। माल का गमनागमन तो हुआ है किन्तु माल के प्रेषक–प्रेषिति भी स्थापित नहीं किये गये हैं व इसके अलावा माल के संव्यवहार होने में कई स्टेज आते हैं व विभाग उसके पास उपलब्ध थर्डपार्टी सूची के अलावा पूरे क्रम के किसी भी स्टेज को बताने में असमर्थ है कि यह संव्यवहार कैसे हुआ। जब गमनागमन को संव्यवहार ही ठहराने में असमर्थ है तो कर देयता कैसे उत्पन्न होगी। सूची में दिए गये 422 संव्यवहारों में से एक का भी कोई स्टेज प्रमाणित नहीं किया गया है इसमे स्वयं सूची भी संदेहास्पद हो जाती है। विभाग द्वारा इन संव्यवहारों

निरन्तर........7

*बाबत कोई **hypothesis** भी पेश नहीं किया गया है कि कुल 12540 मे.ट. सोयाबीन कुल कीमत 11,91,30,000/– दिनांक 30.10.2000 से 24.10.2003 तक निरन्तर किस प्रक्रिया से राज्य के बाहर गया व इसका भुगतान किसके द्वारा प्राप्त किया गया .... ।*

पूर्व में करनिर्धारण अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई, दो बार प्रकरण करनिर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने के उपरान्त भी कोई प्रगति नहीं हुई अतः इसके अभाव में अपीलान्ट द्वारा उक्त माल का उच्चन्ती विक्रय करना मानते हुए आरोपित किया गया कर, ब्याज एवं शास्ति न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है।

कर निर्धारण अधिकारी उक्त माल को विक्रय करने वाले वास्तविक व्यक्ति/व्यवहारी के विरूद्ध दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित करके करारोपण करने हेतु स्वतंत्र है।"

12. ऊपर वर्णित तीनों अपीलीय आदेशों के अवलोकन के स्पष्ट है कि सक्षम अधिकारी द्वारा न तो आरम्भिक स्तर पर विस्तृत जांच की गई थी जिससे कि संव्यवहारों की कड़ी से कड़ी जुड़ सके तथा वास्तविक प्रेषक व्यवहारी सामने लाया जा सके तथा न ही अपीलीय आदेशों में विस्तृत निर्देश दिये जाने एवं प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किये जाने के उपरांन्त भी सक्षम अधिकारी द्वारा यह साबित किया जा सका है कि प्रश्नगत भेजा गया माल प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ही राज्य से अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में भेजा गया। अतः विस्तृत जांच एवं पर्याप्त सबूतों के अभाव में तथा trail of transactions and trail of movement of goods स्थापित एवं प्रमाणित किये बिना प्रत्यर्थी पर किया गया कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी की ओर से मैसर्स गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की ओर से दिया गया यह प्रमाण पत्र भी पेश किया गया था कि उसके द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी मैसर्स प्रशान्त ट्रेडर्स, बारां से सोयाबीन की कोई खरीद नहीं की गई है। परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में मैसर्स Container Corporation of India Ltd. से प्राप्त एक पत्र क्रमांक 0404 दिनांक 15.04.2004 को ही समस्त कार्यवाही का आधार माना गया है जिसमें उसने आलोच्य वर्षों में मैसर्स प्रशान्त ट्रेडर्स बारां द्वारा मैसर्स गुजरात एक्सपोर्ट्स लि. गुजरात को बारां से खोडियार 9060 मीट्रिक टन सोयाबीन भेजा जाना प्रकट किया है।

13. इस पत्र के साथ दिये गये संलग्नक़ों में बारां से Consignor मैसर्स प्रशान्त ट्रेडर्स एवं Consignee मैसर्स गुजरात अम्बुजा एक्सपोटर्स लि० तथा हैण्डलिंग एजेन्ट मैसर्स कांडला कार्गो के नाम अंकित है। साथ ही प्रत्येक Consignment का R.R. no. & date तथा माल का वजन भी अंकित है, यद्यपि इसमें Consignor का address या अन्य कोई विगत अंकित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Conçor के अलावा कोई भी जांच की गई प्रकट नहीं होती है, यहां तक कि

निरन्तर........8

Concor के यहां से भी और अतिरिक्त साक्ष्य इकट्ठे किये जाने अपेक्षित थे जैसे कि (i) माल परिवहन हेतु कोई Agreement या Contract किन पक्षों के बीच हुआ, उस पर किस व्यक्ति के हस्ताक्षर थे तथा वह मैसर्स प्रशांत ट्रेडर्स से किस तरह सम्बन्धित था; (ii) माल के परिवहन का भुगतान किसके द्वारा किया गया, mode of payment क्या था; (iii) Payment की trail से उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता था; (iv) Handling Agent मैसर्स कांडला कार्गो के सम्बन्धित जानकारी Concor से ली जाकर और साक्ष्य जुटाये जाने अपेक्षित थे।

14. इसके अतिरिक्त जब प्रेषक मैसर्स प्रशान्त ट्रेडर्स बारां तथा प्रेषिती मैसर्स गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट्स लि0 दोनों ही इस माल को भेजने या मंगवाने से इन्कार कर रहे हों तो सक्षम अधिकारी का यह प्राथमिक कर्त्तव्य था कि वह Transactions तथा Goods के Movement की तह तक जाता तथा उपयुक्त विधिमान्य साक्ष्यों के साथ वाद को सुस्थापित कर अग्रिम कार्यवाही करता। जब प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष मैसर्स गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट लि0 द्वारा दिया गया यह प्रमाण पत्र पेश कर दिया गया था कि उसने मैसर्स प्रशान्त ट्रेडर्स बारां से कोई माल (सोयाबीन) नहीं मंगवाया है तो ऐसी दशा में उसे यह भी जांच करनी चाहिये थी कि यह माल वास्तव में किसके द्वारा या किसके behalf पर लोड करवाया गया था; इस माल की वास्तव में डिलीवरी किसने ली; इसका भुगतान किसके द्वारा तथा किस फर्म या व्यक्ति को किया गया आदि।

15. यह भी उल्लेखनीय है कि यदि यह माल domestic cargo के रूप में अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में ही परिवहनित किया गया है तो गन्तव्य स्थल 'खोडीयार' स्थित Concor के कार्यालय से इसकी डिलीवरी लेने वाली फर्म अथवा व्यक्ति की भी जानकारी की जा सकती थी। यदि इस माल को घोषित गन्तव्य 'खोडीयार' से आगे निर्यात क्रम में यदि किसी बन्दरगाह को भेजा गया हो तो ऐसी दशा में निर्यात के बन्दरगाह के स्तर से भी जांच की जाती तो वास्तविक exporter का प्रामाणिक रूप से पता चल जाता तथा उससे राजस्थान स्थित वास्तविक विक्रेता की भी प्रामाणिक जानकारी ली जा सकती थी। इस संबंध में Concor के स्तर पर विस्तृत जांच आवश्यक थी जिसमें माल के परिवहन प्रारम्भ होने के स्थान वास्तविक प्रेषक, गन्तव्य स्थल तथा वास्तविक प्रेषिती के सम्बन्ध में विभिन्न जानकारियां प्राप्त करना अपेक्षित था। साथ ही Concor द्वारा बताये गये Handling Agent मैसर्स कांडला कार्गो के स्तर पर भी विस्तृत जांच अपेक्षित थी जिससे प्रेषक एवं प्रेषिति दोनों के संबंध में आधिकारिक जानकारी प्राप्त होने की संभावना थी। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम अधिकारी ने न तो आरंभ में स्वमेव विस्तृत जांच की तथा बाद में अपीलीय

निरन्तर........9

अधिकारी द्वारा प्रकरण दो बार प्रतिप्रेषित किये जाने के उपरान्त भी निर्देशानुसार जांच नहीं की गई, जिससे कि विधिसम्मत साक्ष्य एकत्रित कर विधिनुरूप करारोपण की कार्यवाही की जा सकती थी।

16. उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलीय आदेश की पालना में प्रतिप्रेषित प्रकरणों का निष्पादन करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा जो कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं, वे बहुत ही **Casual, tentative and cryptic** हैं जिनमें न तो अपीलीय आदेशों में दिये गये निर्देशों की पालना में की गई किसी जांच का उल्लेख है तथा न ही कोई नये साक्ष्य उल्लेखित किये गये हैं तथा खानापूर्ति करते हुए मात्र एक पेज के रूटिन आदेश में करोड़ों की टर्नओवर पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में यह उपयुक्त होगा कि इन कर निर्धारण आदेशों पर भी दृष्टिपात किया जावे। वर्ष 2000–01 के दोनों आदेश जो कि अपीलीय आदेशों की पालना में प्रतिप्रेषण पश्चात पारित किये गये थे, को निम्नानुसार **re-produce** किया जाता हैं :–

(i) अपीलीय आदेश दिनांक 27.05.2007 की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 03.12.2007 को पारित कर निर्धारण आदेश :–

"*व्यवसायी का वर्ष 2000–2001 (4.11.2000 से 31.03.2001 तक) का कर निर्धारण आदेश राज. बिक्री कर अधि0 की धारा 30, 58 & 65* R.W **u/s of CST act** *के तहत दि0 15.09.2004 को वसूली योग्य मांग रूपये 49,98,020/– में पारित किया गया था।*

व्यवसायी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमान उपायुक्त (अपील्स) महो0 कोटा के यहां अपील दायर की गयी जिसके निर्णय में श्रीमान उपायुक्त (अपील्स) महो0 के अपील आदेश दिनांक 27.05.2005 द्वारा प्रकरण जांच के बिन्दुओं पर प्रतिप्रेषित किया गया है।

व्यवसायी की जांच के सम्बन्ध में श्री दिनेश चन्द पंचोली ACTO I *को वास्ते जांच अहमदाबाद भेजा गया। श्री पंचोली* ACTO I *द्वारा जांच रिपार्ट पेश की जिसके साथ भिजवाये गये माल के संबंध में आर.आर. की फोटो प्रतियां पेश की हैं जिसमें माल भेजने वाला व माल प्राप्त करने वाला शिव कैरियर है किन्तु जांच रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि श्री पी.एन. गोस्वामी* DGM (c&o) *भारतीय कन्टैनर निगर लि0 ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे उनके पत्र क्रमांक* **NWR/domist-Kota/0404** *दिनांक 15.04.2004 में उल्लेखित तथ्यों पर आज भी कायम हैं तथा उक्त पत्र के साथ प्राप्त, भेजे गये माल के विवरण के आधार पर ही पूर्व में मांग कायम की गयी थी। अतः उक्त पत्र को ही सही मानते हुए निम्न प्रकार मांग कायम की जाकर प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन किया जाता हैं। उक्त पत्रानुसार व्यवसायी द्वारा 3480 मी.टन सोयाबीन मै0 गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट लि0 खोडियार (गुजरात) को वेगन से लोड करवाकर भेजना अवगत कराया गया था।*

निरन्तर........10

विक्रय राशि 3,30,60,000 / – पर 4 % से कर 13,22,400
(3460 MT X 9500)
धारा 65 के तहत् कर की दुगुनी शास्ति............................26,44,800
ब्याज 4.11.2000 से 31.3.2002 15,27,101

योग	*54,94,301*
अग्रिम जमा	NIL
वसूली योग्य	*54,94,301* "

(ii) इसी प्रकार अपीलीय आदेश दिनांक 13.08.2008 की पालना में सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 26.08.2010 को कर निर्धारण आदेश पारित किया गया, जो निम्नानुसार है :–

"*व्यवसायी का वर्ष 2000–2001 (1.4.2000 से 31.03.2001 तक) का कर निर्धारण आदेश* u/s 34 of RST Rules R/W 9 of CST Act *के तहत दिनांक 3.12.2007 को पारित किया गया जिसमें व्यवसायी की ओर से रू. 54,94,301 / – की मांग कायम की गई।*

उक्त आदेश के विरूद्ध व्यवहारी ने श्रीमान् उपायुक्त (अपील्स) कोटा तथा माननीय कर बोर्ड अजमेर के यहाँ अपील दायर की। श्रीमान् उपायुक्त (अपील्स) कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 13.08.2008 द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है तथा माननीय कर बोर्ड अजमेर में प्रकरण अभी विचाराधीन है।

प्रतिप्रेषित प्रकरण वर्ष 2000–2001 का निष्पादन Container corporation of India Ltd. *अहमदाबाद के पत्र क्रमांक* nwr/dom/st-Kota/0404 *दिनांक 15.04.2004 के आधार पर किया जाता है। इस पत्र में* Concor *ने प्रकट किया है कि मै. प्रशान्त ट्रेडर्स बारां ने मै. गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्टस लिमिटेड गुजरात को वर्ष 2000–2001 में रू. 3,30,60000 / –का सोयाबीन भेजा है। मै. प्रशान्त ट्रेडर्स बारां ने मै. गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्टस लिमिटेड गुजरात जारी सम्मन की अनुपालना में पेश लिखित जवाब में सोयाबीन भेजने से इन्कार किया है। लिखित जवाब को पत्रावली पर रखा गया।*

Container corporation of India Ltd. *भारत सरकार का उपक्रम है। इसने वर्ष 2000–2001 में बारां से खोडियार मै. प्रशान्त ट्रेडर्स बारां द्वारा मै. गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्टस लिमिटेड गुजरात को 3480 मीट्रिक टन सोयाबीन कीमतन रू. 3,30,60000 / – का अपने पत्र क्रमांक 0404 दिनांक 15.04.2004 द्वारा भेजा जाना प्रकट किया है।*

Concor *भारत सरकार का उपक्रम होने के कारण इसके पत्र को कर निर्धारण का आधार माना जाता है। व्यवहारी को जारी सम्मन के साथ* Concor *द्वारा भेजे हुए पत्र को फोटो प्रतियॉ भेजी गई। व्यवहारी ने अपने लिखित जवाब में मै. गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्टस लिमिटेड गुजरात को सोयाबीन भेजने से इन्कार किया है*

व्यवहारी द्वारा पेश जवाब को अस्वीकार किया जाता है। Concor *के पत्र के आधार पर वर्ष 2000–2001 का कर निर्धारण निम्न प्रकार पारित किया जाता है :–*

निरन्तर.......11

मै. प्रशान्त ट्रेडर्स बारां ने वर्ष 2000–2001 में सोयाबीन 3480 मीट्रिक टन कीमतन रू. 3,30,60000/– राज्य के बाहर मै. गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्टस लिमिटेड गुजरात को विक्रय किया है। इस समस्त विक्रय को मै. प्रशान्त ट्रेडर्स बारां ने अपने नियमित लेखा पुस्तकों में नही दर्शाया है। प्रकरण का निष्पादन निम्न प्रकार किया जाता है :–

विक्रय राशि सोयाबीन 3480 मी.टन कीमतन रू. 3,30,60000/– कर दर 4 % से कर = 13,22,400/–
धारा 65 के तहत कर की दुगुनी शास्ति (RST Act) = 26,44,800
ब्याज 4.11.2000 से 26.08.2010 तक 3581 दिन = 19,60,558
ब्याज की गणना निम्नानुसार है
4.11.2000 से 31.3.2002 = 512 दिन 24 %..............4,45,196
1.4.2002 से 11.7.2004 = 833 दिन 18 %.................4,45,196
12.7.2004 से 26.8.2010 = 2236 दिन 12 %.............9,72,127

योग ब्याज 19,60,558

योग	*59,27,758*
अग्रिम जमा	NIL
वसूली योग्य	*54,27,758* "

17. उक्त कर निर्धारण आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों अपीलीय आदेशों में दिये गये विस्तृत एवं स्पष्ट निर्देशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट जांच या तथ्यों का विस्तृत परीक्षण नहीं करवाया गया तथा मात्र पूर्व में ही उपलब्ध रहे Concor के पत्र दिनांक 15.04.2004 के आधार पर ही पुनः आदेश पारित कर दिये गये हैं। चूंकि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को विशिष्ट निर्देशों के साथ दो बार प्रतिप्रेषित करते हुए विस्तृत जांच पश्चात कर निर्धारण सम्पूरित करने हेतु निर्देश दिये गये थे, परन्तु उक्त निर्देशों की पालना में कोई भी परिणामजनक जांच की गई हो, ऐसा ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण आदेशों के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है।

18. यहां यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 03.12.2007 में अहमदाबाद से करवाई गई जांच के सन्दर्भ में लिखा गया है कि ACTO I श्री पंचोली द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गई जिसके साथ भिजवाये गये माल के सम्बन्ध में आर.आर. की फोटो प्रतियां पेश की है जिसमें माल भेजने वाला व माल प्राप्त करने वाला शिव कैरीयर है.................। इस सम्बन्ध में अपीलीय आदेश दिनांक 13.08.2008 में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि आर.आर. में वर्णित उक्त "शिव कैरीयर्स" की जांच की जाये परन्तु बाद में पारित कर निर्धारण आदेश में ऐसी किसी जांच का उल्लेख नहीं है। अतः स्पष्ट है कि अपीलीय आदेश की पालना में कोई तर्क संगत एवं परिणामजन्य जांच नहीं की गई।

19. एक तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी द्वारा Rajasthan Sales Tax Act के तहत स्वैच्छिक पंजीयन दिनांक 18.03.2002 से प्राप्त किया है (RST/2846/02112) तथा CST Act के अंतर्गत भी पंजीयन दिनांक

निरन्तर.......12

18.03.2002 की प्रभावी तिथी से प्राप्त किया है। चूंकि प्रश्नगत कर निर्धारण वर्ष 2000–01 तथा 2001–02 की अवधि के हैं, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी का पंजीयन दायित्व पूर्ववर्ती तिथी से निर्धारित करने सम्बन्धी किसी कार्यवाही का उल्लेख विभागीय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में जहां लगभग बारह करोड़ रूपये मूल्य का माल राज्य के बाहर भेजा गया है, जिस पर देय कर राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ हो तथा प्रथम दृष्टया करवंचना किया जाना पाया गया हो, ऐसी स्थिति में फील्ड अधिकारियों के स्तर पर विस्तृत, सार्थक एवं परिणामजनक जांच की जानी अपेक्षित थी परन्तु उन्होंने Concor से मात्र एक पत्र एवं संलग्नक सूचनाऐं प्राप्त कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली तथा वाद को सुदृढ बनाने के लिये वांछित अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्य, संव्यवहारों के पीछे वास्तविक व्यक्ति/फर्म की trail तथा प्रेषित/परिवहनित माल के लोडिंग से लेकर अनलोडिंग स्तर तक की अभिलेखीय trail स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं, जो कि सम्भावित करवंचना के किसी बड़े प्रकरण में अपेक्षित जांच में professionalism की कमी का द्योतक है। चूंकि अपीलार्थी विभाग पूर्ववर्ती अपीलीय आदेशों –दिनांक 27.05.2005 तथा 13.08.2008 के परिप्रेक्ष्य में इनमें यथानिर्देशित विस्तृत जांच पश्चात साक्ष्य एकत्रित कर प्रश्नगत माल प्रत्यर्थी द्वारा ही प्रेषित/विक्रीत किये जाने को प्रमाणित करने में असफल रहा है, अतः अपीलीय अधिकारी का विवादित आदेश दिनांक 13.10.2011 उचित, तर्कसम्मत तथा विधिसम्मत पाये जाने से पुष्टि किये जाने योग्य है।

21. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय आदेशों की पुष्टि करते हुए राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

22. निर्णय सुनाया गया।

06.04.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य